भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–111/2019–2020

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
12.09.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा पैरवी नहीं दी ई पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 30.11.2019 को रखें। अभिलेख 30.11.2019 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
30.11.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 31.12.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 31.12.2019 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
14.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–164, दिनांक–13.03.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक–20.03.2020 को प्राप्त हुआ। तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा इस वाद में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। विज्ञ अधिवक्ता श्री मुरली प्रधान द्वारा आवेदन पत्र दाखिल कर उक्त वाद को पुनर्जीवित करते भूमि क्रय बिकय करने की अनुमति देने की मांग की गई है। विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन पत्र के आलोक में वाद को पुनर्जीवित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि 07.12.2020 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
07.12.2020	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–164, दिनांक–13.03.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक अरूण नायक, पिता–शुरू नायक, जाति–भुईयाँ (अ॰जा॰), ग्राम–भरनीयाँ, थाना–टोकलो, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा–भरनियाँ, थाना नं0–427, खाता नं०–334, 362, प्लॉट नं0–3323, 3324, रकवा क्रमशः–0.01 ए0, 0.01 ए0, कुल रकवा–0.02 ए0 भूमि क्रेता धनियाँ नायक, पिता–स्व0 पदोचरण नायक, जाति–भुईयाँ (अ॰जा॰), ग्राम–भरनियाँ, थाना–टोकलो, जिला–प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक अरूण नायक, पिता–शुरू नायक, जाति–भुईयाँ (अ॰जा॰), ग्राम–भरनीयाँ, थाना–टोकलो, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–टोकलो, जिला–प0 सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति भुईयाँ (अ॰जा॰), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि घरेलु कार्य हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.13 ए0 अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता अरूण नायक, पिता–शुरू नायक, जाति–भुईयाँ (अ॰जा॰), ग्राम–भरनीयाँ, थाना–टोकलो, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 20,000/–(बीस हजार) रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	